



# डा० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University

अनुस्मारक-1

पत्रांक: 1304-2/एन.एल.यू.लखनऊ/प्रशा०/एस-35/2021 (1911)  
दिनांक: 20/10/21

सूचना

विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में नोटिस संख्या-1172-21 दिनांक 03.09.2021 के माध्यम से विश्वविद्यालय में अध्ययनरत्/नव प्रवेशित विद्यार्थियों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किये जाने हेतु सूचित किया गया था। इस सम्बन्ध विश्वविद्यालय में अध्ययनरत्/नव प्रवेशित विद्यार्थियों को पुनः सूचित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि 25.10.2021 तक कर दी गयी है।

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत्/नव प्रवेशित विद्यार्थी जिनकी समस्त श्रोतों से पारिवारिक वार्षिक आय रू० 2.0 लाख से अधिक न हो ऐसे अर्ह इच्छुक विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वह दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत scholarship.up.nic.in की वेबसाइट पर दिनांक 25.10.2021 तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिसमें आधार को अपने बैंक खाते से लिंक करवाना अनिवार्य है।

इच्छुक अर्ह विद्यार्थी scholarship.up.nic.in की वेबसाइट पर दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार आनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें तत्पश्चात सम्बन्धित प्रपत्र(Self Attested) आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित कॉपी के साथ संलग्न कर ई-मेल आई० डी० scholarship@rmlnlul.ac.in पर दिनांक 27.10.2021 तक जमा करना सुनिश्चित करें।

नोट:-

1. अभ्यर्थी के माता/पिता का वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु जमा किया गया ITR Form अथवा फार्म 16A।
2. अभ्यर्थी आनलाईन आवेदन पत्र प्रेषित (Submit) करने से पूर्व आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त कर उसकी सभी प्रविष्टियों का मिलान करके संतुष्ट होने के उपरान्त ही आवेदन पत्र (Submit) करें।
3. आय, जाति, सामान्य निवास प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित) सम्बन्धित वेबसाइट (<http://bor.up.nic.in> or <http://edistrict.up.nic.in> or <http://uonline.up.in>) पर प्रदर्शित होना अनिवार्य है।
4. पिछले शैक्षिक योग्यता के प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
5. जाति/आय/निवास प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
6. आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।
7. शिक्षण संस्थान में जमा की गई शुल्क की रसीद।
8. छात्र द्वारा जनपद के संस्था के समीपस्थ राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खोले गये खाते की पासबुक की स्वप्रमाणित प्रति।
9. अपने बैंक की शाखा में KYC(Know your customer) फार्म भरकर अवश्य जमा कर दें।
10. <http://scholarship.up.nic.in> की वेबसाइट पर एवं नोटिस के साथ संलग्न छात्रों को दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन ध्यानपूर्वक करें।

(संजय कुमार दिवाकर)

संयुक्त कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. मा० कुलपति महोदय, डा० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. कुलसचिव, डा० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. सहायक कुलसचिव, डा० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. विश्वविद्यालय वेबसाइट/समस्त नोटिस बोर्ड।

*Sanjay*

(संजय कुमार दिवाकर)

संयुक्त कुलसचिव

एल.डी.ए., कानपुर रोड योजना, लखनऊ - 226 012

L.D.A., Kanpur Road Scheme, Lucknow - 226 012

दूरभाष सं. 0522 - 2425902-2425904 टेलीफैक्स: 0522 - 2422841

Phone No. 0522 - 2425902 - 904 Telefax: 0522 - 2422841